



पंचदश बिहार विधान सभा

तृतीय सत्र दैनिक विवरणिका

संख्या-1

शुक्रवार, दिनांक- 15 जुलाई, 2011 ई० ।

माननीय अध्यक्ष, श्री उदय नारायण चौधरी की अध्यक्षता में सभा की बैठक प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाहन से 11.35 बजे पूर्वाहन तक ।

[1] अध्यक्ष द्वारा प्रारंभिक सम्बोधन :-

यथा संलग्न ।

[2] शपथ या प्रतिज्ञान :-

पूर्णिया विधान सभा क्षेत्र से उप चुनाव में नव निर्वाचित मां विधायिका श्रीमती किरण देवी द्वारा शपथ लिया गया ।

[3] अध्यासी सदस्यों का मनोनयन :-

माननीय अध्यक्ष महोदय ने पंचदश बिहार विधान सभा के तृतीय सत्र के लिए निम्नांकित चार सभासदों को अध्यासी सदस्य मनोनीत करने की घोषणा की :-

(i). श्री हरिनारायण सिंह

(ii). श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह

(iii). श्री राम लक्षण राम 'रमण'

(iv). श्रीमती गुड़डी देवी

[4] कार्यमंत्रणा समिति का गठन :-

माननीय अध्यक्ष महोदय ने पंचदश बिहार विधान सभा के तृतीय सत्र के लिए निम्न प्रकार से कार्यमंत्रणा समिति का गठन किया :-

1. अध्यक्ष, बिहार विधान सभा, सभापति

2. श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, सदस्य

3. श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री, सदस्य

4. श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री, संसदीय कार्य, सदस्य

5. श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री, सदस्य

6. श्री नन्द किशोर यादव, मंत्री, सदस्य

7. श्री अब्दुल बारी सिंहिकी, नेता, विरोधी दल, सदस्य
8. श्री श्रवण कुमार, स०वि०स०, सदस्य

विशेष आमंत्रित सदस्य :-

1. श्री सदानंद सिंह, स०वि०स०
2. डॉ० प्रमोद कुमार सिंह, स०वि०स०
3. श्री अवधेश कुमार राय, स०वि०स०

नियमानुसार अध्यक्ष इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे ।

आसन से घोषणा की गई कि आज ही सभा की बैठक समाप्त होने के बाद उनके कार्यालय कक्ष में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक होगी ।

[5] अनुमति विधेयकों के विवरण का सभा पटल पर रखा जाना :-

सभा सचिव द्वारा बिहार विधान सभा में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित तथा सत्रोपरांत महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमति विधेयकों का निम्न विवरण सभा पटल पर रखा गया :-

<u>क्रमांक</u>	<u>विधेयक का नाम</u>	<u>अनुमति की तिथि</u>
1.	बिहार विनियोग विधेयक, 2011	21.03.2011
2.	बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2011	31.03.2011
3.	बिहार लोक सेवाओं का अधिकार, विधेयक, 2011	29.04.2011
4.	बिहार वित्त विधेयक, 2011	01.04.2011
5.	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक, 2011	25.05.2011
6.	बिहार मूल्य वर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2011	25.05.2011
7.	बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2011	25.05.2011
8.	बिहार समेकित जाँच चौकी प्राधिकार विधेयक, 2011	25.05.2011
9.	बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) (संशोधन) विधेयक, 2011	25.05.2011
10.	बिहार पेशा, व्यापार आजीविका एवं कार्य नियोजन कर विधेयक, 2011	25.05.2011
11.	बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2011	25.05.2011
12.	बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति विधेयक, 2011	02.06.2011

सभा सचिव द्वारा विधान सभा में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित निम्नलिखित विधेयकों की एक विवरणी को पटल पर रखा गया जिस पर महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमति रोक ली गई है तथा जिसकी सूचना पंचदश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र की समाप्ति के बाद प्राप्त हुई है :-

<u>क्रमांक</u>	<u>विधेयक का नाम</u>	<u>अनुमति रोकने की तिथि</u>
1.	बिहार प्रशासनिक न्यायाधिकरण विधेयक, 2011	04.06.2011
2.	बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक एवं कर्मचारी विवाद निवारण न्यायाधिकरण विधेयक, 2011	06.06.2011
3.	बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग विधेयक, 2011	07.06.2011

[6] अन्य चर्चा :-

माननीय सदस्य सर्वंश्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, विनोद नारायण झा तथा इजहार अहमद द्वारा विधेयकों पर महामहिम द्वारा अपनी अनुमति रोके जाने पर सदन में बाद-विवाद की मांग की गई ।

माननीय मंत्री श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा भी इस मांग का समर्थन किया गया ।

माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा इस विषय के साथ बिजली की समस्या तथा फारबिसगंज की घटना पर बाद-विवाद के लिए कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में विचार किए जाने की मांग की गई ।

आसन द्वारा घोषणा की गई कि माननीय सदस्य सर्वश्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, विनोद नारायण झा तथा इजहार अहमद द्वारा उठाए गए बिन्दुओं पर अगली तिथि को विचार रखने का अवसर दिया जायेगा।

[7] अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन :-

माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा विसीय वर्ष 2011-12 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी को सदन पटल पर रखा गया।

[8] शोक प्रकाश :-

माननीय अध्यक्ष महोदय ने निम्नांकित जननायकों के निधन पर शोक प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की चिरशांति एवं शोकाकुल परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने हेतु ईश्वर से प्रार्थना की गई :-

- | | | |
|----|---------------------------|--------------------------|
| 1. | स्व० जगमातो देवी | - स०विंस० |
| 2. | स्व० रफीक आलम | - पूर्व स०विंस० |
| 3. | स्व० जगन्नाथ सरकार | - पूर्व स०विंप० |
| 4. | स्व० प्रभु नारायण राय, | - पूर्व स०विंस० |
| 5. | स्व० पृथ्वीचन्द्र किस्कु | - पूर्व सभापति, विंप० |
| 6. | स्व० चतुरानन मिश्र | - पूर्व केन्द्रीय मंत्री |
| 7. | स्व० जानकी बल्लभ शास्त्री | - हिन्दी साहित्यकार |

तदुपरांत दिनांक 13.07.2011 को मुम्बई बम विस्कोट में मारे गए एवं धायल व्यक्तियों के साथ हाल के रेल दुर्घटना तथा अन्य घटनाओं में मृत तथा धायल व्यक्तियों के प्रति आसन द्वारा शोक प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की चिरशांति तथा धायल व्यक्तियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई।

सभी माननीय सदस्यों ने एक मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि शोक संवेदना शोकाकुल परिवारों के पास भेज दिए जाएँ।

आसन द्वारा दिनांक 18.07.2011 को सबे बारात के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश होने के कारण उस दिन सभा की बैठक स्थगित किए जाने की घोषणा की गई।

तदुपरांत सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 19.07.2011 के 11.00 बजे पूर्वाहन तक के लिए स्थगित हुई।

पटना

दिनांक-15.07.2011

गिरीश झा

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

प्रारम्भिक संबोधन

माननीय सदस्यगण,

पंचदश बिहार विधान सभा के तृतीय सत्र के शुभारम्भ के अवसर पर मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ ।

वर्तमान सत्र के दौरान राजकीय विधेयक, गैर सरकारी संकल्प तथा वित्तीय वर्ष 2011-12 के प्रथम अनुपूरक व्यव विवरणी का व्यवस्थापन प्रस्तावित है।

संसदीय लोकतंत्र के सामने लोगों की बढ़ती आशाओं तथा आकांक्षाओं को पूरा किया जाना बड़ी चुनौती है । आज हम अधिक स्वतंत्र हैं, परन्तु आर्थिक रूप से कम सुरक्षित हैं । हम विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण, निजीकरण तथा तीव्र सूचना प्रौद्योगिकी के युग में रह रहे हैं, इसलिए सदन के अन्दर और बाहर हमें सच्चाई एवं ईमानदारी से पारदर्शिता रखते हुए लोगों को न्याय दिलाना होगा, जिसकी परिकल्पना भारत के संविधान निर्माताओं ने किया था । आज भारतीय राजनीतिक व्यवस्था बड़े निर्णायक दौर से गुजर रही है । अब जनता अपने तथा जन-प्रतिनिधियों के अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों के बारे में अधिक जागरूक हो चुकी है और अपने प्रतिनिधियों से उच्च आकांक्षाएँ रखती है ।

अतः हम सभी को आज राजनीतिक एवं सार्वजनिक जीवन में अधिक से अधिक पारदर्शिता लाकर संसदीय प्रणाली को सुदृढ़ बनाना होगा तथा लोकतंत्र के इस सर्वोच्च संस्था की गरिमा को अक्षुण्ण रखना होगा ।

पूर्व की भाँति सदन में प्रश्नोत्तरकाल का आकाशवाणी तथा दूरदर्शन से सीधा एवं डेफर्ड प्रसारण कराने की व्यवस्था की गई है, जिससे बिहार के आम-अवाम सदन में आपकी गतिविधियों से रू-ब-रू होते रहें ।

मुझे आशा और विश्वास है कि सदन के संचालन में आप सभी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा ।